(File no. 7261/16)

20.10.2020

परिवादी, राम विनोद शर्मा, पूर्व न्याय मित्र, ग्राम पंचायत/कचहरी– मुरारी, प्रखण्ड करपी उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

परिवादी, राम विनोद शर्मा, ग्राम/कचहरी–मुरारी, प्रखण्ड करपी में दिनांक 31.10.2007 को संविदा पर न्याय मित्र के पद पर नियोजित किया गया था जिसकी अवधि अप्रैल, 2011 में समाप्त हो गयी। परिवादी का कथन है कि वह संविदा की समाप्ति के बाद भी तत्कालिन सरपंच के मौखिक अनुरोध पर न्याय मित्र के रूप में अपनी सेवा दिनांक 07.11.2015 तक लगातार देता रहा। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या–2388, दिनांक 21.04.2015 के आलोक में उसने पुनः दिनांक 24.04.2015 को न्याय मित्र के पद पर योगदान दिया। परिवादी का यह भी कथन है कि उसे अप्रैल, 2011 तक पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। उसके बाद से उसे कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। उसकी ओर से न्याय मित्र के रूप में किये गये कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, करपी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को अप्रैल, 2011 तक पारिश्रमिक का नियमित भुगतान किया गया है। तत्पश्चात् परिवादी के बिना किसी अधिकृत प्राधिकार के आदेश के न्याय मित्र के रूप में योगदान करने आदि के आलोक में उनके अप्रैल, 2011 के बाद तथाकथित किये गये कार्य को विधिसम्मत नहीं पाते हुए उक्त अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, करपी की ओर से आयोग को यह भी सूचित किया गया है कि परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में परिवादी द्वारा पूर्व में माननीय पटना उच्च न्यायलय में एक CWJC संख्या 14262/2017 दायर किया गया था जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा परिवादी के अभ्यावेदन पर गुण–दोष के आधार पर सकारण आदेश पारित करने का आदेश जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल को दिया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल द्वारा दिनांक 28.05.2018 को एक आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार परिवादी द्वारा अप्रैल, 2011 के बाद अपने योगदान के समय में जो साक्ष्य एवं दावा प्रस्तुत किया गया है

उसे प्रमाणित नहीं माना गया। जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल के दिनांक 28.05.2018 के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध परिवादी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC संख्या 14516/2018 दायर किया गया है जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

अब जबकि, परिवादी की ओर से परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में एक मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु लंबित है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत परिवाद पर मानवाधिकार आयोग द्वारा सुनवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक